राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – ।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

कमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1467 / 2015 / 13988   दिनांकः 08.12.2015 11

श्री रंजीत सिंह,   उप निदेशक (राजस्व) पू0
म0 न0–466, मेन गली,
शंकर मार्ग, मण्डावली,
दिल्ली–110092.

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री रंजीत सिंह, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 21–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 08.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री रंजीत सिंह, उपस्थित हुए एवं श्री शिव प्रसाद, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (पू0)–।, प्रीत विहार जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 22.07.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 21.09.2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने बताया कि सहायक जनसूचना अधिकारी ने प्रश्न संख्या 2, 4, 5, और 7 के उत्तर में गलत सूचना प्रदान की । अतः सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत की पुनः जांच की जाए और सही उत्तर इस आदेश के पारित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए और उनकी शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करें ।

अपीलकर्ता को यह सलाह दी गई कि अगर उन्हें अभियांत्रिक विभाग (इंजीनियरिंग विंग) से कोई शिकायत है तो अधीक्षण अभियन्ता (पूर्व), दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में अलग से शिकायत दें, उसकी नियमानुसार जांच की जाएगी और शिकायत को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा।

अपीलकर्ता को यह भी सलाह दी गई कि अगर उन्हें कोई अन्य शिकायत है तो अलग से एक शिकायत निदेशक (सतर्कता), दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में दें, उसकी नियमानुसार जांच की जाएगी ।

6409
14/12/15

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0/–
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री रंजीत सिंह, म0 न0–466, मेन गली, शंकर मार्ग, मण्डावली, दिल्ली–110092.
2. उप निदेशक (राजस्व) पू0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (पू0)– I, प्रीत विहार ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी